

प्रेषक,

नेत्रपाल सिंह,  
I. D. No.-6348  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
कोर्ट सं० 7, गाजियाबाद।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक महोदय,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,  
जिला गाजियाबाद।

विषय: माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक 9691/IV-F-82(Pension)/Admin.(A) दिनांकित 16 जुलाई, 2024, के अनुपालन में उ०प्र०शासनादेश सं०-14/2024 /Sa-3-243/X-2024 /301 (1)/2024 दिनांकित 28.06.2024 के अनुसार शासनादेश संख्या-20/2024 /Sa -3-276 /X-2024/301 (1)/2024 दिनांकित 11.07.2024 के संलग्नक विहित प्रारूप पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-11718/IV-F-82 (Pension)/Admin.(A) Dated: August 31st, 2024 के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष की संस्तुति सहित प्रार्थनापत्र-

माननीय महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में ससम्मान निवेदन इस प्रकार है-

- 1- यह कि मैं प्रार्थी नेत्रपाल सिंह पुत्र स्व०रमेश चन्द वर्तमान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-7, गाजियाबाद के पद पर कार्यरत हूँ।
  - 2- यह कि प्रार्थी की नियुक्ति उ०प्र०न्यायिक सेवा में लोक सेवा आयोग उ०प्र०, इलाहाबाद (प्रयागराज) द्वारा जारी विज्ञापन सं०-ए-2/E-1/2003, दिनांकित 15 नवम्बर 2003 के अनुसार की गयी भर्ती प्रक्रिया में चयन के आधार पर उ०प्र०शासन, नियुक्ति अनुभाग-4 द्वारा जारी विज्ञप्ति सं०-2430/दो-04-06-32 (1)/2001 टी०सी०-1 दिनांकित 26-05-2006 के अनुक्रम में की गयी है।
  - 3- यह कि प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जारी विज्ञप्ति सं०-1127/DR (S) 2006 दिनांकित 13-06-2006 के अनुपालन में दिनांक 19-06-2006 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बदायूँ के पद का कार्यभार ग्रहण किया है तथा वर्तमान में उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 7 गाजियाबाद के पद पर कार्यरत है।
  - 4- यह कि मैं प्रार्थी वर्तमान में नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित हूँ किन्तु प्रार्थी उ०प्र०राज्य के शासनादेश सं०-14/2024/Sa-3-243/X-2024/301(1)/2024 दिनांकित 28.06.2024 के अनुक्रम में उ०प्र० सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1961 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना के विकल्प का चयन कर रहा हूँ जिसके लिए मेरे द्वारा उ०प्र०शासन के शासनादेश सं०-20/2024/Sa-3-276/X-2024/301(1)/2024 दिनांकित 11.07.2024 के संलग्नक के रूप में जारी किए गए विकल्प पत्र को भरकर पुरानी पेंशन के विकल्प का चयन करते हुए इस प्रत्यावेदन के साथ माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-11718/IV-F-82 (Pension)/Admin. (A) Dated: August 31st, 2024 के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष की संस्तुति सहित माननीय महोदय की सेवा में प्रेषित किया जा रहा है।
- अतः माननीय महोदय से सादर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा चुने गए पुरानी पेंशन योजना के विकल्प को स्वीकार करते हुए प्रार्थी को उ०प्र०सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1961 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने हेतु उचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

प्रार्थी महोदय का सदा आभारी रहेगा।

ससम्मान!

भवदीय,  
*Netrapal Singh*  
23.09.2024

(नेत्रपाल सिंह)

I.D.No.-6348

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
कोर्ट सं०-7, गाजियाबाद।

दिनांक-23-09-2024

संलग्नक-शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के संलग्नक का विकल्प पत्र।

पृष्ठांकन सं० 4109/XV दिनांकित 23/09/2024  
अग्रसारित,

श्रीमान महानिबन्धक महोदय,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

Dist. Judge

Chazibad

शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का  
संलग्नक

विकल्प-पत्र

1-नाम	नेत्रपाल सिंह (NETRAPAL SINGH) ID No. 6348
2-वर्तमान पदनाम	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 7, गाजियाबाद।
3-वेतनमान	144840-194660
4-वर्तमान विभाग का नाम	न्याय विभाग
5-राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम-	लोकसेवा आयोग, उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
6-विज्ञप्ति की तिथि-	15 नवम्बर 2003 (विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1/2003)
7-विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि-	26 मई 2006 (उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग-4) विज्ञप्ति संख्या-2430/दो-04-06-32 (1)/2001 टी०सी०-1
8-योगदान की तिथि-	19-06-2006 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बदायूं, (माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञप्ति सं० 1127/DR(S)2006 दिनांकित 13-06-2006 के अनुपालन में)
9- जन्मतिथि	01-07-1974
10-सेवा निवृत्ति की तिथि	30-06-2034

मैं नेत्रपाल सिंह पुत्र श्री रमेशचन्द्र, शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1)/2024 दिनांक 28 जून 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓) नवीन पेंशन योजना (X) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर- Netrapal Singh  
नाम-नेत्रपाल सिंह, 23.09.2024  
पदनाम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 7  
गाजियाबाद।

घोषणा पत्र

मैं, नेत्रपाल सिंह पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 7 गाजियाबाद यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम सं०-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

दिनांक-23.09.2024

हस्ताक्षर- Netrapal Singh  
नाम-नेत्रपाल सिंह, 23.09.2024  
पदनाम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 7  
गाजियाबाद।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री नेत्रपाल सिंह पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 7 गाजियाबाद को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓)/नई पेंशन योजना (X) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति  
District Judge  
Ghaziabad/